



नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
(अधीनस्थ भारत सरकार)
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग
नौएडा दादरी रोड, फेस-2, नौएडा जिला गौतम बुद्ध नगर (उ०प्र०)
ईमेल: dc@nsez.gov.in,
वेबसाइट: www.nsez.gov.in
टेलीफोन 120-2567268/69/70

फाइल संख्या: NSEZA/ADMN/05/2009/VOL-IV/7490 दिनांक: 09.09.2025

सेवा में,

1. संयुक्त सचिव(एस.ई.जेड्स/ई.ओ.यू.), भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली |
2. संयुक्त डी.जी.एफ.टी., 117/एल-444, काकादेव, कानपुर-208025 |
3. श्री पुनीत कपूर, पार्टनर, मैसर्स एपीके आइडेंटिफिकेशन (दिल्ली), प्लॉट संख्या 129-सी, एनएसईजेड, नौएडा-201305 |
4. श्री अमृत लाल मनवानी, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, मैसर्स सहस्र इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस लिमिटेड (यूनिट-2), प्लॉट संख्या 68ए(ए), एनएसईजेड, नौएडा-201305 |

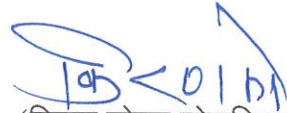
विषय: एन.एस.ई.जेड. प्राधिकरण की दिनांक 02.09.2025 को पूर्वाह्न 10:30 बजे आयोजित की गई बैठक का कार्यवृत्त अग्रेषित करने के सम्बन्ध में |

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में, मुझे एन.एस.ई.जेड. प्राधिकरण की दिनांक 02.09.2025 को पूर्वाह्न 10:30 बजे आयोजित की गई बैठक का कार्यवृत्त आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है |

भवदीय

संलग्नक: उपरोक्त


(किरण मोहन मोहन)

उप विकास

आयुक्त एवं

सचिव, नौ. वि.आ.क्षे. प्राधिकरण

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक(एस.ई.जेड्स), भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली |
2. ओ.एस.डी., अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, एन.एस.ई.जेड. प्राधिकरण, एनएसईजेड,

नौएडा |

3. वरिष्ठ लेखाधिकारी, एनएसईजेड, नौएडा |

5. श्री नोमान हाफिज़, उप विकास आयुक्त, एनएसईजेड, नौएडा |

6. मैसर्स यूसीसी एंड एसोसिएट्स एलएलपी, 1315 अंसल टावर, 38 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 |

7. सम्बंधित पत्रावली |



उप विकास आयुक्त एवं

सचिव, नौ. वि.आ.क्षे. प्राधिकरण

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

दिनांक 02.09.2025 को सुबह 10.30 बजे आयोजित नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त

एनएसईजेड प्राधिकरण (एनएसईजेडए) की बैठक का कार्यवृत्त, श्री ए. बिपिन मेनन, अध्यक्ष एवं अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), एनएसईजेड प्राधिकरण की अध्यक्षता में 02.09.2025 को सुबह 10:30 बजे हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित किया गया।

A. बैठक में अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

- किरण मोहन मोहदिकर, उप विकास आयुक्त एवं सचिव, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्राधिकरण
- श्री राकेश कुमार, सहायक विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), कानपुर (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े)।
- श्री पुनीत कपूर, भागीदार, मेसर्स एपीके आइडेंटिफिकेशन (दिल्ली) (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े)।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) नोमान हाफिज, उप विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, (एनएसईजेड) (ii) श्री रविकेश त्रिपाठी, निर्दिष्ट अधिकारी (iii) कृष्ण चंद्र पंत, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (iv) श्री राजेंद्र मोहन कश्यप, एडीसी और (v) अरुण सिंह परिहार, आशुलिपिक-द्वितीय, भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह बताया गया कि गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. आरंभ में, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (एनएसईजेडए) के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची पर क्रमिक रूप से चर्चा की गई। प्राधिकरण के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श और प्रतिभागियों के साथ बातचीत के बाद, सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय

(1) नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण की 30/06/2025 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

1.1 एनएसईजेड प्राधिकरण को सूचित किया गया कि 30.06.2025 को आयोजित पिछली बैठक में, प्राधिकरण ने एनएसईजेड में इकाइयों के साथ-साथ नई इकाइयों के लिए मानक डिजाइन कारखाना (SDF) के आवंटन के मामले में आवंटन शुल्क माफ करने पर सहमति व्यक्त की थी। तदनुसार, निर्णय 28.08.2025 को प्रसारित किया गया। हालाँकि, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एनएसईजेड) की कई मौजूदा इकाइयों ने अपने कब्जे में मानक डिजाइन कारखाना (SDF) के आवंटन के लिए पहले भुगतान किए गए आवंटन शुल्क की वापसी के लिए पूछताछ शुरू कर दी है। नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एनएसईजेड) प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि छूट का निर्णय भावी प्रभाव से है और यह केवल नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एनएसईजेड) में नई अनुमोदित इकाई के नए आवंटन के साथ-साथ नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एनएसईजेड) में मौजूदा इकाइयों द्वारा अतिरिक्त मानक डिजाइन कारखाना (SDF) के लिए आवंटन अनुरोध पर लागू होगा। यह भी सूचित किया गया कि 02/04/2025 को आयोजित बैठक में लिए गए शेष निर्णयों के विरुद्ध कोई अन्य संदर्भ या आपत्तियाँ नहीं हैं। अतः, एनएसईजेड प्राधिकरण ने इस पर ध्यान दिया और तदनुसार, 02/04/2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।



1.2 इसके अलावा, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एनएसईजेड) प्राधिकरण ने एसईजेड प्राधिकरण नियम, 2009 के नियम 10 के उप-नियम 14 के अनुसार 30/06/2025 को आयोजित अपनी बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा की और प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

(2) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड (एनबीसीसी) को भुगतान हेतु दी गई स्वीकृति का अनुसमर्थन।

2.1 यह सूचित किया गया कि मेसर्स राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड (एनबीसीसी) (इंडिया) लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 01/08/2025 के माध्यम से स्वीकृत लागत का 10% अर्थात् 817.89 लाख रुपये जारी करने का अनुरोध किया था। सक्षम प्राधिकारी, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एनएसईजेड) ने प्राधिकरण की बैठक में अनुसमर्थन के अधीन राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड (एनबीसीसी) इंडिया लिमिटेड को 5,55,66,546/- रुपये की राशि स्वीकृत की।

2.2 प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मेसर्स राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड (एनबीसीसी) इंडिया लिमिटेड को उपरोक्त भुगतान जारी करने हेतु दी गई अनुमति का अनुसमर्थन किया।

3. स्टेबल पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड - शेयरधारकों में बदलाव के मद्देनजर हस्तांतरण शुल्क से संबंधित मामला।

3.1 यह सूचित किया गया कि ईएम अनुभाग को परियोजना अनुभाग द्वारा मेसर्स स्टेबल पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट संख्या 149, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एनएसईजेड) को जारी दिनांक 24.07.2025 का एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके अनुसार यह सूचित किया गया था कि अनुमोदन समिति ने 15/07/2025 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी के निदेशक और शेयरधारिता स्वरूप में निम्नलिखित परिवर्तन पर ध्यान दिया था:

(□) निदेशकों में परिवर्तन:

पूर्व निदेशक	वर्तमान निदेशक
श्री सुशील कांत गुप्ता	श्री जय कांत गुप्ता
श्री जय कांत गुप्ता	श्री पंकज गुप्ता
श्री पंकज गुप्ता	

(ख) शेयरधारिता स्वरूप में परिवर्तन का विवरण:

शेयरधारक का नाम	पिछला शेयरधारिता स्वरूप	वर्तमान शेयरधारिता स्वरूप
श्री सुशील कांत गुप्ता	81.55%	-
श्रीमती कल्पना गुप्ता	7.21%	88.77%
श्री सुशील कांत गुप्ता (एचयूएफ)	2.69%	2.69
श्री पंकज गुप्ता	4.90%	6.40
श्री शील गुप्ता	1.50%	
श्री सुभाष चंद अग्रवाल	1.53%	
श्री आदिल नवाज़	0.61%	
श्री पंकज गुप्ता (एचयूएफ)	-	2.15
शेयरधारिता में परिवर्तन		92.42

3.2 यह भी बताया गया कि अनुमोदन समिति ने नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एनएसईजेड) के ईएम प्रभाग को नोएडा एसईजेड प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार शेयरधारिता स्वरूप में परिवर्तन के संबंध में हस्तांतरण शुल्क लगाने के मामले की जांच करने का निर्देश दिया है।

3.3 यह भी बताया गया कि नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एनएसईजेड) प्राधिकरण की दिनांक 04.09.2012 की बैठक में 31.08.2021 को आयोजित अपनी बैठक में शेयरधारिता में परिवर्तन के कारण हस्तांतरण/आवंटन शुल्क लगाने के संबंध में संशोधन किया गया था, जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिया गया था: -

“किसी इकाई के प्रवर्तकों के बीच एक बार में या एक ब्लॉक अवधि में चरणबद्ध तरीके से हिस्सेदारी/शेयरधारिता/स्वामित्व में 50% से अधिक परिवर्तन होने की स्थिति में, जिसमें इकाई के संविधान में परिवर्तन भी शामिल है, भले ही स्वीकृति पत्र वही रहे, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एनएसईजेड) प्राधिकरण द्वारा तय दरों के अनुसार हस्तांतरण शुल्क/आवंटन शुल्क लगाया जाएगा।”

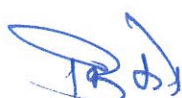
3.4 यह बताया गया कि वाईपी (विधि) ने अन्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों द्वारा अपनाई गई नीतियां निम्नानुसार प्रदान की हैं:

परिदृश्य	मृतक से संबंध	स्थानांतरण शुल्क	लागू प्राधिकारी
रक्त संबंधियों (जीवित) के बीच स्थानांतरण	पति/पत्नी, पुत्र, पुत्री, आदि।	शून्य (केवल प्रसंस्करण शुल्क)	नोएडा, येडा, जीएनआईडीए
कानूनी उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार (मृत्यु पर)	वर्ग-1 के उत्तराधिकारी	शून्य	नोएडा, येडा, जीएनआईडीए
विस्तारित परिवार का उत्तराधिकार	भाई-बहन, पोते-पोतियाँ, आदि।	सामान्य शुल्क का 50%	येडा, जीएनआईडीए
पंजीकृत वसीयत या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के माध्यम से स्थानांतरण	वर्ग-1 के उत्तराधिकारी	शून्य	नोएडा, येडा, जीएनआईडीए
वसीयत/प्रमाणपत्र के माध्यम से विस्तारित उत्तराधिकारियों को हस्तांतरण	पोते-पोतियाँ, भाई-बहन, आदि।	सामान्य शुल्क का 50%	नोएडा, येडा, जीएनआईडीए
असंबंधित पक्षों को स्वैच्छिक बिक्री/उपहार	तीसरे पक्ष	पूर्ण शुल्क	सभी प्राधिकारी

3.5 प्राधिकरण ने प्राप्त कानूनी राय का संज्ञान लिया और उचित विचार-विमर्श के बाद, (i) निकट रक्त संबंधियों के बीच स्थानांतरण (ii) मृत्यु पर स्थानांतरण - श्रेणी-1 कानूनी उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार के मामले में स्थानांतरण शुल्क की प्रयोज्यता को माफ करने का निर्णय लिया। ईएम प्रभाग, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एनएसईजेड) को भी आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

(4) करना अपैरल्स प्राइवेट लिमिटेड - पट्टा किराया में छूट का अनुरोध

4.1 यह सूचित किया गया कि मेसर्स करना अपैरल्स प्राइवेट लिमिटेड ने पट्टा किराया में छूट के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया था और बताया था कि वे 29 वर्षों से अमेरिका में एक ही खरीदार को निर्यात कर रहे हैं, लगभग 2,000 कर्मचारियों को रोजगार देते हैं, और उनका अनुपालन रिकॉर्ड मजबूत है तथा निर्यात रिकॉर्ड भी लगातार अच्छा रहा है। अमेरिका द्वारा भारतीय परिधान आयात पर अचानक 50% प्रशुल्क लगाए जाने के कारण, उनके 8,00,000 परिधानों के पुष्ट ऑर्डर (नवंबर तक) अब खतरे में हैं, क्योंकि खरीदार भारी छूट की मांग कर रहे हैं, जिसे वे वहन नहीं कर सकते। इससे उन्हें अपना परिचालन बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप भारी वित्तीय नुकसान और बड़े पैमाने पर नौकरियाँ खत्म हो सकती हैं। इकाई ने

 3

25 नवंबर तक परिचालन जारी रखने में मदद के लिए मानक डिजाइन कारखाना (SDF) किराया माफ करने, निर्यात प्रोत्साहन/सब्सिडी देने या कोई अन्य राहत प्रदान करने का अनुरोध किया है।

4.2 प्राधिकरण ने पाया कि इकाई को केवल अमेरिका को निर्यात करने वाले 20 मानक डिजाइन कारखाना (SDF) आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, इकाई द्वारा सृजित रोजगार लगभग 2000 है। प्राधिकरण ने यह भी ध्यान दिया कि प्राधिकरण ने हाल ही में मानक डिजाइन कारखाना (SDF) में नए आवंटनों के लिए गैर-वापसी योग्य आवंटन शुल्क हटाकर एक महत्वपूर्ण व्यापार सुविधा उपाय किया है।

4.3 प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, यूनिट के पास मौजूद विशाल स्थान और उनके द्वारा सृजित रोजगार को ध्यान में रखते हुए, अक्टूबर-दिसंबर 2025 की तिमाही के लिए 50% पट्टा किराया वसूल कर किराया स्थगित करने का निर्णय लिया। हालाँकि, अक्टूबर-दिसंबर 2025 की तिमाही के लिए शेष 50% किराया अगली तिमाही यानी जनवरी-मार्च 2026 में वसूल किया जाएगा। यह पट्टा किराया के भुगतान का स्थगन केवल यूनिट द्वारा बताए गए संकट, यदि कोई हो, के प्रबंधन के लिए है।

4.4 प्राधिकरण ने सभी उप विकास आयुक्त (डीडीसी) और विकास आयुक्त (डीसी) (सीमा शुल्क), नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एनएसईजेड) को शामिल करते हुए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया, जो अमेरिका द्वारा अत्यधिक प्रशुल्क लगाए जाने के कारण उत्पन्न वर्तमान परिदृश्य की जांच करेगी तथा आगे विचार-विमर्श के लिए नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एनएसईजेड) प्राधिकरण को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

(5) डिलिजेंट लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड - पट्टा किराया माफ करने और सिव्योरिटी राशि वापस करने का अनुरोध।

5.1 निदेशक श्री राकेश त्रिखा प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

5.2. प्राधिकरण ने पाया कि नोएडा कस्टम्स के समक्ष एक मामला लंबित है, जिस पर अभी निर्णय होना बाकी है। प्राधिकरण ने श्री त्रिखा को एनएसईजेड में अपने स्वीकृति पत्र की विस्तृत व्यावसायिक योजना, आदेशों की प्रतियों (यदि कोई हो) सहित प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

5.3 प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मामले को स्थगित कर दिया। प्राधिकरण ने इकाई से प्राप्त विवरण को आवश्यक जांच और आगे की प्रक्रिया के लिए परियोजना अनुभाग को भेजने का भी निर्देश दिया, जिसमें सक्षम प्राधिकारी/यूएसी के समक्ष प्रस्तुत करना भी शामिल है।

(6) मेसर्स रिलायंस प्रोजेक्ट्स एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड (पूर्व में रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड) - बकाया पट्टा किराया से संबंधित मामला।

6.1 नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एनएसईजेड) प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मेसर्स रिलायंस प्रोजेक्ट्स एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड को बकाया पट्टा किराया के भुगतान के लिए संशोधित मांग नोटिस भेजने का निर्देश दिया। इसमें 15.05.2018 से 20.12.2022 तक की अवधि शामिल नहीं है, जिसके दौरान कंपनी (रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड) कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के अधीन थी। पट्टा विलेख के नवीनीकरण के लिए उनके प्रस्ताव पर उनके अनुरोध के अनुसार 20 वर्षों के बजाय 15 वर्षों (प्लॉट की तर्ज पर) के लिए विचार किया जाएगा।

(7) टाटा पावर ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड- ईवी चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए अतिरिक्त स्थान का आवंटन।

7.1 यह सूचित किया गया कि मेसर्स टाटा पावर ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एनएसईजेड), नोएडा में स्थित उनके मौजूदा ईवी चार्जिंग स्टेशन का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। अब, कंपनी ने गेट संख्या 2 के पास विकसित किए जा रहे नए पार्किंग क्षेत्र में अतिरिक्त ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने हेतु 10 पार्किंग बे के लिए स्थान आवंटित करने का अनुरोध किया है।

7.2 प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, ईवी चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए स्थानों का निरीक्षण करने और तदनुसार स्थान आवंटित करने का निर्देश दिया।

(8) एनएसईजेड के सुविधा केंद्र स्थित दुकान संख्या 9 में गतिविधि में परिवर्तन से संबंधित मामला।

8.1 प्राधिकरण ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, "कूरियर सेवाओं" से "फास्ट फूड/चाय, कॉफी/सैक्स से संबंधित गतिविधि" में गतिविधि में परिवर्तन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

अनुपूरक कार्यसूची**(9) (i) एनएसईजेड परियोजना कार्य हेतु मानक डिजाइन कारखाना (SDF) ब्लॉकों में रेट्रोफिटिंग कार्य का लागत अनुमान और (ii) एनएसईजेड में किए जाने वाले अतिरिक्त कार्यों से संबंधित मामला।**

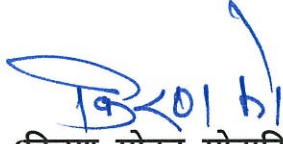
9.1 यह सूचित किया गया कि श्री नीलेश शाह, सलाहकार (सिविल इंजीनियर) ने एनएसईजेड में किए जाने वाले अतिरिक्त कार्यों के संबंध में अपनी टिप्पणियाँ प्रदान की हैं। यह बताया गया है कि बुनियादी ढाँचे की सुविधाओं में सुधार और मानक डिजाइन कारखाना (SDF) ब्लॉकों के सुधार के लिए निम्नलिखित प्रमुख कार्य किए जाने पर विचार किया जा रहा है:

1. अग्नि लेखा परीक्षा अनुपालन
2. मानक डिजाइन कारखाना (SDF) ब्लॉकों में रेट्रोफिटिंग कार्य
3. बहु-स्तरीय पार्किंग

9.2 प्राधिकरण ने मामले पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मामले में आगे आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उपरोक्त सभी कार्यों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से लागत अनुमान मंगवाने का निर्देश दिया।

9.3 प्राधिकरण ने ईआईएल द्वारा किए जा रहे कार्यों की आगे निगरानी की और कार्य की धीमी गति पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। प्राधिकरण ने मेसर्स ईआईएल को समय पर कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।



(किरण मोहन मोहादिकर)
उप विकास आयुक्त एवं सचिव,
अधिकारी
एनएसईजेड प्राधिकरण



(ए. बिपिन मेनन)
अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी
एनएसईजेड प्राधिकरण